

प्रेषक,

राघवेन्द्र विक्रम सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: 03 अगस्त, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना (टी0एस0पी0) में धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना "आयोजनागत" हेतु शासनादेश संख्या-229/26-ब0प्र0-2012-140(खा)/2007 दिनांक 25 अगस्त, 2012 के अनुक्रम में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 0.50 लाख (रू0 पचास हजार मात्र) में से अवशेष माहों के लिए शेष धनराशि रू0 17,000/- (रू0 सत्रह हजार मात्र) की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-12-231/12 दिनांक 09.07.2012 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0 / टी0एस0पी0 के मानक/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कन्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

5- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-796-जनजाति क्षेत्र उपयोगना-05-कौशल सुधार प्रशिक्षण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामों डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-904/दस-2012 दिनांक 28.08.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त ।

भवदीय,

(राघवेन्द्र विक्रम सिंह)
विशेष सचिव।

राघवेन्द्र विक्रम सिंह

8

संख्या-338 (1)/26-ब0प्र0-2012-तददिनांक ।

61.9/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामीण उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड, लखनऊ ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-4
- 7- गार्डफाइल ।

38
06/9/12


आज्ञा से,
(एन.एच. रिमवी)
उप सचिव ।

शासनादेश संख्या-338 / 26-ब0प्र0-2012-140(खा) / 2007 दिनांक 03 अगस्त, 2012 का
संलग्नक।

धनराशि हजार रू0 में

क्रमांक	केन्द्र का नाम व पता	धनराशि	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र बहराइच	17.00	05
	योग	17.00	05

(रू0 सत्रह हजार मात्र)


(एन.एच. रिजवी)
उप सचिव ।

५